भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2432

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण

2432. श्री वरुण चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के लिए वर्ष-वार कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया;

(ख) अनुसूचित जातियों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम आए; और

(ग) क्या निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, सफाई कर्मियों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के सेवन के पीड़ितों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिक्षावृत्ति के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों, विमुक्त तथा घुमंतू जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों (एससी) के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें लागू कर रहा है जैसे कि एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एससी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कीम (श्रेयस), प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, एससी के लिए लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)। इसके अलावा, यह विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री-दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डीएनटी, कूड़ा बीनने वाले सहित सफाई कर्मियों से संबंधित लाभवंचित लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। पीएम-दक्ष स्कीम का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें कामकाजी-रोजगार या स्वरोजगार में रोजगार योग्य बनाना है।

(ग): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

गत पांच वर्षों में आवंटित एवं उपयोग किया गया बजट

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट राशि	व्यय
1	2019-20	6285.10	6249.69
2	2020-21	6155.00	6205.01
3	2021-22	7807.06	5430.84
4	2022-23	9285.41	5555.75
5	2023-24	7384.89	7473.85

*****